

लाइब्रेरी में छात्रों से मारपीट मामले में पांच जने शांतिभंग में गिरफ्तार

मंडावा, (निसं)। कस्बे में नेमीनाथ मार्केट स्थित एक लाइब्रेरी में बुधवार को पढ़ने वाले छात्रों को मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने लाइब्रेरी संचालक की शिकायत पर पांच आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया, जिसमें एक मंडावा थाने का हिस्ट्रीशीटर एवं उसका भाई पार्षद भी शामिल था।

मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मंडावा पहुंच कर छतरियों के पास बैठकर कार पार्षद सतार खान को गलत गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को बिना जांच के गिरफ्तार करना गलत बात है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गुढ़ा ने समुदाय विशेष के साथ बैठक कर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए

- लाइब्रेरी में हुई मारपीट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा मंडावा पहुंचे
- पुलिस थाना, एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की

कहा कि पुलिस प्रशासन को दोनों पक्षों की बातें सुनी चाहिए। बैठक के पश्चात गुढ़ा पुलिस थाने पहुंचे जहां पर पार्षद के समर्थकों के साथ पुलिस थाने के सामने नारेबाजी कर विरोध जताया। पार्षद समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री

राजेंद्र गुढ़ा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पांच सदस्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम का ज्ञापन मंडावा एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि लाइब्रेरी में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मोहल्ले की बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा था। कई बार इस संबंध में संचालक से समझाइस भी की गई। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।

बुधवार को मोहल्ले के कुछ लोग इन्हें समझाने के लिए गए। उनके साथ भी लाइब्रेरी के छात्रों ने झगडा किया। इस झगडे में पुलिस द्वारा मोहल्लेवासियों के खिलाफ एक तरफ

कार्रवाई की गई। जो सरासर गलत है। दोनों पक्षों को समान रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए न्याय पूर्वक कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अनीश, अयूब भाटी, इरफान व सलीम आदि मौजूद थे। मंडावा थानाधिकारी रामनिवास ने बताया कि गुरुवार को शांतिभंग में गिरफ्तार पांचों जनों को उपखंड मजिस्ट्रेट मंडावा के समक्ष पेश किया गया। जिनको जमानत स्वीकार की गई। तत्पश्चात पुलिस ने पांचों जनों को प्रकरण में बाद अनुसंधान में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ रामनिवास ने बताया कि गिरफ्तार अनवर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वहीं पार्षद सतार पर भी पांच-छह मुकदमें दर्ज हैं।

वार्षिकोत्सव मनाया

रतनगढ़ (निसं) श्री ढांडग शक्ति सेवा समिति के 48 वें वार्षिकोत्सव पर स्थानीय अग्रसेन भवन में आयोजित भजन संध्या में गायकों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। आयोजन समिति के अनिल भरतीया ने बताया कि सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित टीडा गेला मैया के दरबार में पंडित प्रवीण माटोलिया द्वारा मंत्रोच्चार के बीच जयप्रकाश भारतीय व महेश भारतीय द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई। भजन संध्या में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, विधायक पुराम गोदारा, पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत आदि का समिति द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनंदन किया गया। स्थानीय गायक राजकुमार मंगलहारा की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में कोलकाता के गायक नवीन जोशी, मोनू मोर, मूलचंद बजाज ने भजनों से खूब रंग जमाया।

उन्होंने मैया की चुनरी, मेहंदी और गजरे के भजनों पर सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। भावुक दादी भक्तों के न दादीजो के दरबार की भव्य और मनमोहक सजावट तथा गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर सजाई छप्पन भोग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर समाजसेवी मनोज जोशी, अरुण रामगढ़िया, सुरेश मुरारका, गायकार एस पी वर्मा, बालकृष्ण धर्त, प्रकाश सोनी, पवन सराफ, रोनाक बाजोरिया विजय सराफ, हिमांशु सराफ, श्याम सराफ पारस सराफ सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

नीमकाथाना जिला हटाये जाने के विरोध में धरना जारी

पाटन (निसं)। नीमकाथाना जिला बनाने की मांग को लेकर 24 वें दिन भी हड़ताल जारी रहा जिसमें भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को माला पहनाकर रामजीलाल सैनी हेमराजपुरा, पूर्व सरपंच हरि सैनी धांधेला, नीरुराम सैनी हेमराजपुरा, रामेश्वर सैनी स्यालोदडा, प्रकाश सैनी हेमराजपुरा को माला पहनाकर धरने पर बैठया।

जिला अध्यक्ष सुनिता गठाला ने क्रामिक भूख हड़ताल पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने नीमकाथाना और सीकर संभाग को हटाने के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार को चेतावनी दी। सुनीता ने कहा कि अगर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिला नीमकाथाना और सीकर संभाग को हटाने के फैसले को वापस लेवे।

सुनीता गठाला ने आगे कहा कि नीमकाथाना जिला अपने पूरे माप दण्ड पूरा करता था। राज्य सरकार मांगों का समाधान नहीं करती है तो जनता एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीमकाथाना और सीकर संभाग के मुद्दे पर सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता हितों पर असर पड़ेगा। सुनीता गठाला ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस निर्णय को

पराक्रम दिवस मनाया

डूंडलोद, (निसं)। डूंडलोद पब्लिक स्कूल डूंडलोद में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय सचिव बीएल रणवा एवं प्राचार्य जी. प्रकाश ने नेताजी के चित्र पर पुष्पजलि अर्पित की। प्राध्यापक अशोक सैनी ने नेताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। प्राचार्य जी. प्रकाश ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि नेताजी साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। उन्होंने राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा... उनका यह नारा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता कर्तव्य और जिम्मेदारी का अहसास कराता है। विद्यालय सचिव बीएल रणवा ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नेताजी का राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम और सुंदरम से प्रेरित था। नेताजी के इसी राष्ट्रवाद ने उन रचनात्मक शक्तियों का जगाया, जो सदियों से भारतीयों में निहित थी। नेताजी केवल एक क्रांतिकारी नेता ही नहीं थे। बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय युवाओं को अपने सपनों को बड़ा करने और उनके लिए संघर्ष करने का जज्बा पैदा किया। कार्यक्रम में विद्यालय संचालन समिति के सदस्य राहुल रणवा, उप प्रधानाचार्य डी. लाल, प्रभारी रेखा स्वामी, सुगनलता आदि उपस्थित थे।

नीमकाथाना जिला हटाये जाने के विरोध में धरना जारी

वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में धरने और आंदोलनों का दायरा और भी बढ़ेगा। उन्होंने नीमकाथाना की जनता से भी अपील की कि वे शांतिपूर्वक अपने संघर्ष जारी रखें। विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपनी आवाज उठाई और नीमकाथाना जिले को फिर से बहाल करने के लिए संयुक्त संघर्ष का संकल्प लिया। जनसभा में यह संदेश साफ था कि यह मुदा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि जनता का अधिकार और उनका भविष्य है।

सचिव जिला कांग्रेस कमेटी तनसुख ओला, धर्मेन्द्र गठाला, एडवोकेट महेंद्र प्रताप, कांतप्रसाद शर्मा, भागूराम सैनी, राजेंद्र महराणिया, राजपाल डोई, सरपंच सुरेश खैरवा प्रवीण जाखड ने संबोधित किया। धरने पर बैठे लोगों में जोश देखा गया और उनकी एकजुटता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

कई प्रमुख नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए हैं, जिससे आंदोलन को और अधिक मजबूती मिल रही है। लोग अब इस संघर्ष को सिर्फ एक पेशेवर मुद्दा नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन के रूप में देख रहे हैं। जमनालाल यादव, ताराचंद यादव, सुगनचंद निमोद, महेश मेगोतिया, नंदू सैनी आदि ने अपना समर्थन दिया है।



LIC
एलआईसी की साथ
अपना विकास सुनिश्चित करें

- तीन साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम.
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास से लेकर कोई भी उच्च शिक्षा.
- न्यूनतम पूर्ण आयु: आवेदन के समय 18 वर्ष.
- एजेंसी स्टाइपेंडरी अवधि में एवं उसके पश्चात नियमानुसार कमीशन के साथ जारी रहेगी.
- शर्तों के अधीन एलआईसी अपने एजेंट्स को कैरियर के अवसर भी प्रदान करती है.
- निर्दिष्ट मानदंडों की प्राप्ति पर आधारित स्टाइपेंडरी योजना

स्वावलंबी नारी, खुशहाली हमारी

आवेदन के लिए, नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in पर विज़िट करें

हमें फॉलो करें:  LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

ग्राम फोन कॉल और झूठे/घोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें. आईआरडीआई बीमा पॉलिसी बेचने या बीमा की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. जनता से निवेदन है कि ऐसे फोन कॉल करने पर वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. जोखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया किसी से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

**ईश्वर का है अनमोल उपहार
बेटी को मत समझो भार**



श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान

राष्ट्रीय बालिका दिवस

24 जनवरी, 2025

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत
गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है

वैधानिक चेतावनी

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (PCPNDT) के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण/चयन करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इस कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मुखबिर योजना के तहत
3 लाख रुपये तक का इनाम

भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं. **104/108** या वाट्सएप नं. **9799997795** पर शिकायत दर्ज कराएं, मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर